जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 10.10.2024

जनपदीय एसओजी टीम व थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध रूप से भण्डारण पटाखें किये गये बरामद व एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत पटाखो के अवैध भण्डारण एवं बिक्री के रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 09.10.2024 को जनपदीय एसओजी टीम व थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मेंहदावल बाईपास से नेंदुला की तरफ जाने वाले रोड पर स्थित स्टेट ट्रांसपोर्ट की गोदाम से भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारण किये गये पटाखा की बरामदगी एवं एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द्र निवासी छोटी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 216 गत्ता विभिन्न ब्रांड के पटाखे वजन करीब 58 कुंतल 07 किग्रा अनुमानित कीमत करीब 60 लाख 2. कुल 11 अदद बिल बाउचर।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह स्टेट ट्रांसपोर्ट कम्पनी का मालिक है। उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जनपद लखनऊ से यह पटाखे मंगाये गये थे। उक्त पटाखो को यह अपने दो गोदाम क्रमशः एक छोटी सरौली स्थित मकान के दो कमरो तथा शेष हाईवे के किनारे ट्रांसपोर्ट आफिस के नीचे बेसमेंट में बने गोदाम में रखे थे। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि छोटा सरौली में स्थित गोदाम मे रखा कुल 92 गत्ता पटाखा क्रमशः 1. शिवकुमार पुत्र जवाहर लाल निवासी गोला बाजार थाना खलीलाबाद, 2. मानस अग्रहरि पुत्र श्यामबिहारी अग्रहरी निवासी गोला बाजार थाना खलीलाबाद का है, तथा हाईवे के किनारे बेसमेंट मे बने गोदाम में रखा कुल 124 गत्ता पटाखा क्रमशः 3. राजू अग्रहरी पुत्र जवाहर लाल निवासी गोला बाजार थाना खलीलाबाद, 4. अरूण कुमार अग्रहरि पुत्र माता प्रसाद निवासी घघसरा रोड पटखौली थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर, 5. राज गुप्ता पुत्र मनोज कुमार निवासी गोला बाजार थाना खलीलाबाद, 6. राजन गुप्ता पुत्र सुबाषचन्द्र निवासी मुखलिपुर रोड थाना खलीलाबाद, 7. श्याम कुमार पुत्र द्वारिका निवासी गोला बाजार हनुमानगढ़ी के पीछे थाना खलीलाबाद, 8. प्रमोद जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी गोला बाजार थाना खलीलाबाद एवं 9. पवन कुमार पुत्र प्रेमचन्द निवासी कस्बा महुली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर का है। इनके द्वारा भंडारण हेतु अपनी गोदाम उपलब्ध करायी गयी है जिसका यह किराया लेते है। गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा उपरोक्त सभी के माल से सम्बन्धित बिल बाउचर उपलब्ध कराये गये है। दोनो गोदाम/बेसमेंट आबादी क्षेत्र में है। इनके पास भंडारण का कोई लाइसेंस नही है। अतएव फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उक्त प्रकरण में थाना खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 775/2024 धारा 288 बीएनएस व 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–

एसओजी पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री सर्वेश राय, हे0का0 बृजकिशोर गुप्ता, का0 दीपक कुमार, का0 अरूण कुमार, का0 शुभम कुमार, का0 सर्वेश मिश्रा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री सतीश कुमार सिंह, व0उ0नि0 राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री मनीष जायसवाल, उ0नि0 श्री दुर्गविजय सिंह, हे0का0 विजय सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 कृष्णानन्द शाह।

नोटः- पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली दोनो टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25000रु0 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 98 वाहनों से 1,29,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 98 वाहनों से 1,29,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 157/2024 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अनिल पुत्र विक्रम निवासी नेतवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 10.10.2024 को उमरिया बाजार चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री राम वशिष्ठ, हे0का0 मैनेजर प्रसाद।